50/16 भैरूलाल vs रतन लाल (2019/00187)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
14-6-19	अपीलांट व रेस्पो० सं० 1 मी अभि उप० । पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र अपील निरस्त किये जाने हेतु पर्याप्त वक्त नहीं है। अतः पत्रावली वास्ते 11-7-19 को पेश हो। सम्भागीय आयुक्त अजमेर	
11-7-19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अभिभाषक श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत उपस्थित हैं। पत्रावली आज बहस प्रार्थना पत्र वास्ते अपील निरस्त किये जाने हेतु नियत है। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने अपील दिनांकित 07.02.2019 मे अंकित कथनो को ही कमोबेस अपनी बहस मे दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रकरण मे पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो चुका है जिस कारण प्रार्थीगण अपील को आगे नही चलाकर जरिये विड्रोल निरस्त करवाना चाहते है जो लोक अदालत की भावना अनुरूप न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील को आज ही जरिये विड्रोल निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र पर सुनी बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पक्षकारो के मध्य आपसी राजीनामा पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से अपीलार्थी अभिभाषक से राजीनामे की प्रति चाही गई जिसे उपलब्ध कराने मे उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने अपील दिनांकित 07.02.2019 स्वीकार योग्य नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पुनःश्च – इस पर अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा अपील को नोट प्रेस (Not Press) में खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी की अपील को अपीलार्थी अभिभाषक की प्रार्थना पर नोट प्रेस (Not Press) के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सम्भागीय आयुक्त अजमेर	Not press/withdrawn by me [illegible] 11/7/19 (राघवेन्द्र सिंह राणावत)